न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 224/2019

वादी :– प्रवीण पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति जाट, निवासी डांगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अरविन्द पुत्र श्री ओमप्रकाश
2. प्रियंका पुत्री श्री ओमप्रकाश
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री सोहनलाल
   जातियान जाट, निवासीगण डांगावास,
   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
4. तहसीलदार, मेड़ता।

दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 26/11/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री महेन्द्र चौधरी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई–बहन है। प्रतिवादी संख्या 3 इनके पिता है तथा सभी हिन्दू है व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 933 मीन रकबा 8 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 4 बीघा 18 बिश्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 7 बीघा 8 बिश्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 20 रकबा 7 बीघा 4 बिश्वा की भूमि वादी के परदादा भंवरलाल की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उन्होने अपने जीवनकाल में ही बंटवाड़ा कर वादी के पिता के बंट की होने से उनके नाम खातेदारी करवा दी। पुरानी जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। पुराने खसरान की भूमि के नये खसरा नम्बर कायम किये गये। मौजा डांगावास की सरहद के खसरा नम्बर 133 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1549 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1550 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1838 रकबा 1.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.17 हैक्टेयर व मौजा गणेशपुरा की सरहद के खसरा नम्बर 292 रकबा 1.57 हैक्टेयर की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पैतृक भूमि है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का समान हक व अधिकार है। मगर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त खसरान की भूमि का आपस में करीब 4 वर्ष पूर्व ही मौके पर अलग–अलग बंटवाड़ा कर लिया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त खसरान की भूमि में अपना कोई हक, बंट नही रखा और इन्होने बंट की एवज में नगदी व गहने प्राप्त कर लिये और उसी दिन उक्त खसरान की जमीन में प्रतिवादी संख्या 2 के हक व अधिकार समाप्त हो गये। मगर उक्त खसरान की भूमि की खातेदारी अभी तक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अंकित है। वादी ने अपने हिस्से व बंट की भूमि अपने नाम करवाने का कहा तो हमेशा कोईन कोई बहाना बनाकर टालमटोल कर रहे है। जिससे वादी यह खातेदारी घोषणा का यह वाद पेश कर रहा है। मौजा डांगावास की सरहद के खसरा नम्बर 133 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1549 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1550 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1838 रकबा 1.22 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 20 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.17 हैक्टेयर व मौजा गणेशपुरा की सरहद के खसरा नम्बर 292 रकबा 1.57 हैक्टेयर की भूमि का मौके पर तो वादी व प्रतिवादी ने आपस में बंटवाड़ा कर लिया है और बंटवाड़ा के अनुसार ही सीवें व माठे कायम कर ली गई मगर अभी तक विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे वादी अपने बंटसुदा भूमि का विधिवत बंटवाडा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग से खातेदारी का इन्द्राज करवाना चाहता है। जिससे वादी यह बंटवाड़ा का वाद पेश कर रहा है। बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। उपरोक्त बंटवाड़ा के अनुसार मौके पर तो शांपिपूर्वक काश्त व काबिज ले आ रहे है मगर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम होने से वादी सरकारी योजना व अपने सुदा भूमि को विकसित करने के लिये किसी बैंक अथवा संस्था से ऋण लेकर अपनी भूमि को ओर अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है। जिससे वादी यह वाद पेश कर रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर तो बंटवाड़ा हो रखा है। मगर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 3 का नाम खातेदारी का इन्द्राज होने से प्रतिवादी संख्या 3 खातेदारी की आड़ में किसी अन्यों को बैचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा वादी के काश्त व कब्जे में दखलअंदाजी करने पर आमादा है जबकि उनको ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है। जिससे वादी अपनी बंटसुदा जमीन में प्रतिवादीगण व अन्य किसी प्रकार की दखल व दस्तअंदाजी न तो स्वयं करे और ना ही किन्हीं अन्यों से करवावें। जिससे वादी यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रहा है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 09 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा डांगावास एवं गणेशपुरा के मिलान क्षेत्रफल, मौजा ग्राम डांगावास की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 73 एवं मौजा गणेशपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2076 से

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2076, खाता संख्या 09, ग्राम पंचायत डांगावास द्वारा दिनांक 19.08.2019 को जारी ओमप्रकाश का वारिसान प्रमाण पत्र, मौजा ग्राम डांगावास की जमाबंदी सम्वत् 2051 से 2054, खाता संख्या 542, 552 एवं मौजा ग्राम गणेशपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058, खाता संख्या 65 की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री श्यामलाल मेहरिया ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6. (क) **वादी प्रवीण के बंट में :—** मौजा डांगावास की सरहद के खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.12 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1838 रकबा 1.22 हैक्टेयर में से रकबा 0.55 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ, खसरा नम्बर 20 रकबा 1.59 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 25 रकबा 1.17 हैक्टेयर में से रकबा 0.3850 हैक्टेयर उत्तरी तरफ तथा मौजा गणेशपुरा की सरहद के खसरा नम्बर 292 रकबा 1.57 हैक्टेयर में से

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.7850 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ख) **प्रतिवादी संख्या 1 अरविंद के बंट में** :– मौजा डांगावास की सरहद के खसरा नम्बर 133 रकबा 1.19 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1838 रकबा 1.22 हैक्टेयर में से रकबा 0.67 हैक्टेयर पूर्वी तरफ, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.17 हैक्टेयर में से रकबा 0.7850 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ तथा मौजा गणेशपुरा की सरहद के खसरा नम्बर 292 रकबा 1.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.7850 हैक्टेयर उत्तरी तरफ की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) **प्रतिवादी संख्या 3 ओमप्रकाश के बंट में** :– मौजा डांगावास की सरहद के खसरा नम्बर 1550 रकबा 1.20 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1549 रकबा 0.76 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।

7. प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक की भूमि का हक तर्क वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
(उपखण्ड अधिकारी)
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2019.12.05 12:50:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: